राजस्थान–सरकार
कार्यालय सहायक निदेशक अभियोजन, जिला–सिरोही (राज.)
पता– कलेक्ट्रेट परिसर सरूपविलास सिरोही। दूरभाष न.027972&220647
E-MAIL ID - ADP.SIROHI@RAJASTHAN.GOV.IN,

क्रमांक– 975
प्रेषिति–

दिनांक–26–04–2023

थानाधिकारी
पुलिस थाना शिवगंज ।

विषय – एफआईआर न. 29/23 धारा 420,272,273,482,486,487,488 भादस पुलिस थाना शिवगंज में अग्रीम राय के सम्बन्ध में।
सन्दर्भ – आपके पत्रांक 1397 दिनांक 25.04.2023 के सन्दर्भ में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अनवान प्रकरण एफआईआर न. 29/23 धारा 420,272,273,482,486,487,488 भादस पुलिस थाना शिवगंज में आप द्वारा अनुसंधान के दौरान अग्रीम अनुसंधान पूर्ण करने हेतु कानूनी राय मांगी गई है।

चूंकि वर्तमान में कानूनी राय का प्रावधान समाप्त हो चुका है, अनुसंधान पूर्ण होने पर सम्बन्धित अभियोजन अधिकारी से प्रकरण में संवीक्षा की जाती है परन्तु प्रकरण में अग्रीम अनुसंधान करना है एवंम आप तकनीकी व कानूनी प्रावधानों की जानकारी प्राप्त करना चाहते है।

आप द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट में व एफआईआर में यह स्पष्ट बताया गया है कि अवैध घी सामग्री के साथ–साथ एग्मार्क के लेबल व पैंकिग सामग्री बरामद हुई है। ऐसे में वर्तमान में जो धाराएँ प्रकरण में लगाई गई है अर्थात् धारा 420, 272 ,273 ,482, 486 ,487,488 भादस एवंम 59 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनिमय 2006 और आप द्वारा इस तथ्यात्मक रिपोर्ट के माध्यम से ट्रेड मार्क (व्यापार चिन्ह) अधिनियम 1999 का अपराध घटित होने के बारे में कूननी जानकारी चाही गई है कि यह अपराध घटित हुआ या नहीं ? तथा प्रकरण में और कौन–कौन सी धाराओं का अपराध घटित हुआ है।

अतः पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकरण में धारा 102,103,104 ट्रेड मार्क (व्यापार चिन्ह) अधिनियम 1999 का अपराध बनने की साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है। इस अधिनियम की धारा 115 के अन्तर्गत उप पुलिस अधीक्षक या उसके समतुल्य पंति के निचे का अधिकारी इस प्रकरण में अनुसंधान नहीं कर सकता है। अतः प्रकरण में अनुसंधान उप–पुलिस अधीक्षक श्रेणी के अधिकारी से किया जाना कानूनी तौर पर उचित रहेगा। प्रकरण में बाद अनुसंधान नियमानुसार सम्बन्धित अभियोजन अधिकारी से संवीक्षा रिपोर्ट प्राप्त की जावे।

(अजय कुमार ओझा)
सहायक निदेशक अभियोजन
जिला–सिरोही

115. कतिपय अपराधों का संज्ञान और पुलिस अधिकारी की तलाशी लेने और अभिग्रहण करने की शक्तियां-

(1) कोई भी न्यायालय धारा 107, धारा 108 या धारा 109 के अधीन अपराध का संज्ञान रजिस्ट्रार या उसके द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा लिखित परिवाद के बिना नहीं करेगा: परन्तु न्यायालय धारा 107 की उपधारा (1) के खंड (ग) के संबंध में किसी अपराध का संज्ञान रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए इस आशय के प्रमाणपत्र के आधार पर करेगा कि कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न ऐसे किसी माल या सेवाओं की बाबत रजिस्ट्रीकृत है जिसके संबंध में वास्तव में वह रजिस्ट्रीकृत नहीं है ।

(2) महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट से अवर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा ।

(3) धारा 103 या धारा 104 या धारा 105 के अधीन अपराध संज्ञेय होंगे ।

(4) यदि किसी पुलिस अधिकारी का, जो पुलिस उप अधीक्षक या समतुल्य की पंक्ति से नीचे का नहीं है, यह समाधान हो जाता है कि उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों में से कोई अपराध किया गया है, किया जा रहा है या किए जाने की संभावना है तो वह अपराध किए जाने में अन्तर्वलित माल, डाई, ब्लाक, मशीन, प्लेट, अन्य उपकरण या वस्तुओं की, जहां कहीं भी वे पाई जाएं, बिना वारंट तलाशी ले सकेगा और उन्हें अभिगृहीत कर सकेगा और इस प्रकार अभिगृहीत सभी वस्तुएं यथाशक्य शीघ्र, यथास्थिति, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश की जाएंगी :

परन्तु पुलिस अधिकारी, कोई तलाशी लेने या अभिग्रहण करने से पूर्व व्यापार चिह्न से संबंधित अपराध में अन्तर्ग्रस्त तथ्यों के बारे में रजिस्ट्रार की राय अभिप्राप्त करेगा और इस प्रकार अभिप्राप्त राय का पालन करेगा ।

(5) उपधारा (4) के अधीन अभिगृहीत वस्तुओं में कोई हित रखने वाला व्यक्ति, ऐसे अभिग्रहण के पंद्रह दिन के भीतर, उसे ऐसी वस्तुएं वापस दिलाए जाने के लिए, यथास्थिति, प्रथम वर्ग न्यायिक

मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट को आवेदन करेगा और मजिस्ट्रेट आवेदक और अभियोजन की सुनवाई के पश्चात् आवेदन पर ऐसा आदेश पारित करेगा जो वह ठीक समझे ।